न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 40 / 2025
निर्णय दिनांक : 30.04.2025
GCMS NO : 2025/81

गवर कंवर पुत्री शैतानसिंह जाति पुरोहित निवासी ग्राम खुडी तहसील सुजानगढ जिला चूरु

............प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

..............अप्रार्थी

प्रा. पत्र बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–
1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री नरेश सींवर उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीनी के संयुक्त खातेदारी, काश्त, उपयोग–उपभोग के खेत खाता संख्या 159 के खसरा संख्या 327 तादादी 1.9599 हैक्टेयर, खसरा संख्या 335 तादादी 0.8851 हैक्टेयर, खसरा संख्या 396 तादादी 6.5754 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल तादादी 9.4204 हैक्टेयर वाके रोही खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिसे प्रार्थना–पत्र में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थीनी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि वादगत भूमि में प्रार्थीनी का नाम गोरा पुत्री शैतानसिंह जो कि गलत है। उक्त खातेदारी में प्रार्थीनी का वास्तविक व सही नाम गवर कंवर पुत्री शैतानसिंह है।

प्रार्थीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीनी को मिलने वाले सरकारी लाभांश आदि का फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थीनी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को संशोधन करने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करावें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम खुड़ी में प्रार्थीनी का नाम गोरा पुत्री शैतानसिंह दर्ज है। जबकि प्रार्थीनी के दस्तावेजों में नाम गवरकंवर पुत्री शैतानसिंह है। अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीनी का नाम गवरकंवर पुत्री शैतानसिंह किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीनी का सही तथा वास्तविक नाम गवर कंवर पुत्र शैतानसिंह ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीनी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 159 के खसरा संख्या 327 तादादी 1.9599 हैक्टेयर, खसरा संख्या 335 तादादी 0.8851 हैक्टेयर, खसरा संख्या 396 तादादी 6.5754

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल तादादी 9.4204 हैक्टेयर वाके रोही खुडी तहसील सुजानगढ़ जिला पूरू में दर्ज ोरा पुत्री शैतानसिंह जाति पुरोहित निवासी खुडी खातेदार के स्थान पर गवरकंवर पुत्री शैतानसिंह जाति पुरोहित निवासी खुडी खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उराकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्राथी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को रार इजलारा सुनाया जाकर मुद्रांकित एवं हरताक्षरित किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)